

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय:— नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों को ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु० मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने हेतु निर्गत संकल्प संख्या— 3557, दिनांक— 20.11.2014 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

राज्य के नगर निकायों से ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु०) मात्र तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने के लिए मंत्रिपरिषद् की दिनांक— 18.11.2014 को आयोजित बैठक के मद संख्या— 06 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या— 3557, दिनांक— 20.11.2014 निर्गत है।

2. विभिन्न नगर निकायों द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त संकल्प में राज्य योजनाओं तथा 13वीं वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली योजनाओं में ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु० मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने का प्रावधान लागू किया गया है जबकि 13वीं वित्त आयोग अब 14वीं वित्त आयोग में तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अब पंचम् राज्य वित्त आयोग में परिवर्तित हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त संकल्प को संशोधित करते हुए 14वीं वित्त आयोग एवं पंचम् राज्य वित्त आयोग अंकित किया जाए।

3. 14वीं वित्त आयोग एवं पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि 2019-20 में समाप्त होगी तथा पुनः 15वीं वित्त आयोग एवं छठा राज्य वित्त आयोग प्रभावी होगा। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। इसलिए वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संख्या को इंगित करना उपयुक्त नहीं होगा।

4. इस बीच सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” लागू हो गई है। इस योजना के तहत नगर निकायों के वार्ड स्तर से कच्ची गलियों एवं नालियों का पक्कीकरण किया जाना है। इस योजना में छोटी-छोटी कच्ची गलियों एवं नालियों का कार्य भी कराया जाना है। निविदा के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में विलम्ब को देखते हुए यह विचार किया गया है कि इस योजना में भी ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु०) तक का कार्य कराने हेतु नगर निकायों को यह विकल्प दिया जाय कि उक्त सीमा तक की योजनाएँ निविदा अथवा विभागीय रूप से करा सकें।

5. अतः वर्णित स्थिति में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक— 26.04.2018 के मद संख्या 12 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या— 3557, दिनांक— 20.11.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य योजनाओं, राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग एवं मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की राशि से ली जाने वाली वैसी सभी

योजनाओं के लिए, जिनकी लागत ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु०) मात्र तक हों, निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

(i) संबंधित नगर निकाय, स्थायी कर्मचारियों की उपलब्धता एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखते हुए यह निर्णय लेंगे कि उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से कराया जाय अथवा विभागीय रूप से।

(ii) विभागीय तौर पर योजनाओं को संपादित कराने का कार्य स्थायी तकनीकी कर्मचारी यथा कनीय अभियंता के माध्यम से ही कराया जाएगा।

(iii) एक समय में अधिक से अधिक दो या तीन योजनाएँ ही एक कनीय अभियंता को कार्यान्वयन हेतु दी जाएँगी और एक स्कीम के लिए दिए गए एक अग्रिम के सामंजन के बाद ही दूसरा अग्रिम दिया जाएगा।

(iv) संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता से विभागीय कार्य नहीं कराया जाएगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/सभी जिला शहरी विकास अभिकरण/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4/5/2018

(चैतन्य प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 2ब०/विविध 21-14/2014- 2574 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक- 09/05/18
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

4/5/2018

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 2ब०/विविध 21-14/2014- 2574 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक- 09/05/18

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना/कार्यपालक अभियंता, सभी जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/5/2018

सरकार के प्रधान सचिव।